दिनांक 16.11.2026
प्रेस विज्ञप्ति

कार्यालय अपर पुलिस महानिदेशक आगरा जोन , आगरा।

जनपद एटा /थाना सकीट

- **पुलिस कार्यवाही में ऑनलाइन गेमिंग एवं सट्टेबाजी से जुड़े साइबर ठगो के गिरोह का पर्दाफाश, 03 अभियुक्त गिरफ्तार, गिरफ्तार अभियुक्तों से 31 एटीएम कार्ड, 12 सिम कार्ड, 05 मोबाइल फोन, आधार-पैन कार्ड एवं ₹19,530 नकद बरामद।**

साइबर अपराध की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना सकीट पुलिस द्वारा दिनांक 15.11.2026 को ऑनलाइन गेमिंग एवं सट्टेबाजी से जुड़े साइबर ठगो के गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध थाना सकीट पर मुअसं०- 180/2026 धारा 318(4), 317(4), 336(3), 340, 3(5) बीएनएस एवं 66डी आईटी एक्ट पंजीकृत किया गया है। बरामद होंडा सिटी कार को आवश्यक प्रपत्र उपलब्ध न कराने पर मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत सीज किया गया। पुलिस द्वारा बरामद मोबाइल फोन, बैंक खातों एवं डिजिटल साक्ष्यों की जांच की जा रही है। गिरोह से जुड़े अन्य व्यक्तियों तथा साइबर अपराध से प्राप्त धनराशि के स्रोत एवं लेन-देन के संबंध में अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

प्रारंभिक जांच में अभियुक्तों से संबंधित बैंक खातों के विरुद्ध बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एवं दिल्ली सहित विभिन्न स्थानों से कुल 06 साइबर शिकायतें प्रकाश में आई हैं, जिनमें लगभग 1,24,970 रुपये की धनराशि संबंधित है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण

1. उत्कर्ष वर्मा उर्फ यशु वर्मा पुत्र सुनील वर्मा निवासी एमपी नगर थाना कोतवाली नगर एटा।
2. रोहित शाक्य पुत्र सर्वेश शाक्य, निवासी जसराना रोड थाना औंछा मैनपुरी
3. नितिन पुत्र ठाकुर दास निवासी अकबरपुर थाना औंछा मैनपुरी।

बरामदगी

1. 31 विभिन्न बैंकों के एटीएम कार्ड।
2. 04 आधार कार्ड एवं 04 पैन कार्ड।
3. 12 सिम कार्ड एवं 05 मोबाइल फोन।
4. 01 ड्राइविंग लाइसेंस।
5. 02 पुरुषों की अंगूठियां (पीली एवं सफेद धातु)।
6. ₹19,530 नकद।
7. एक होंडा सिटी कार।

जनपद मथुरा /थाना मांट

- **पुलिस कार्यवाही में चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त चोरी की 01 मोटर साइकिल 01 अवैध तमंचा व 02 जिन्दा कारतूस .315 बोर सहित किया गया गिरफ्तार।**

थाना मांट पुलिस टीम द्वारा दिनांक 15.11.2026 रात्रि चैकिग के दौरान अभियुक्त सरजू उर्फ सज्जू पुत्र ज्ञानपाल निवासी रोशन विहार कालौनी , लक्ष्मीनगर थाना जमुनापार जनपद मथुरा उम्र करीब 20 वर्ष को चोरी की मोटर साइकिल हीरो स्पलेण्डर रंग काला जिस पर नम्बर प्लेट पर रजिस्ट्रेशन नम्बर UP 85 CE 6913 अंकित था जिसकी जानकारी की गई तो रजिस्ट्रेशन नम्बर UP 81 DX 8072 ज्ञात हुआ व 01 अवैध तमंचा व 02 जिन्दा कारतूस .315 बोर सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त उपरोक्त की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के आधार पर थाना मांट पर मु0अ0सं0 276/2026 धारा 317(2)/317(5)/318(4) बीएनएस व 9/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्त के विरुद्ध थाना मांट से आवश्यक विधिक कार्यवाही की गई।

गिरफ्तार अभियुक्त

- सरजू उर्फ सज्जू पुत्र ज्ञानपाल निवासी रोशन विहार कालौनी , लक्ष्मीनगर थाना जमुनापार मथुरा

बरामदगी

- एक मोटर साइकिल हीरो होड़ा स्पलेन्डर प्लस
- 01 अवैध तमंचा व 02 जिन्दा कारतूस .315 बोर

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

- मु0अ0सं0 276/2026 धारा 317(2)/317(5)/318(4) बीएनएस व 9/25 आर्म्स एक्ट थाना मांट जनपद मथुरा।
- मु0अ0सं0 187/2026 धारा 303(2) बीएनएस थाना बल्देव जनपद मथुरा।
- मु0अ0सं0 245/2026 धारा 305/317(2)/61(2) बीएनएस थाना बल्देव जनपद मथुरा।
- मु0अ0सं0 481/2026 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना हाइवे जनपद मथुरा।
- मु0अ0सं0 12/2026 धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना कोतवाली जनपद मथुरा।
- मु0अ0सं0 199/2026 धारा 305(ए)/317(2) बीएनएस थाना राया जनपद मथुरा।
- मु0अ0सं0 62/2026 धारा 9/25 आयुध अधिनियम थाना जमुनापार जनपद मथुरा।
- मु0अ0सं0 267/2026 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना जमुनापार जनपद मथुरा।
- मु0अ0सं0 387/2026 धारा 9/25 आयुध अधिनियम थाना जमुनापार जनपद मथुरा।
- मु0अ0सं0 198/2026 धारा 136/137 विधुत अधिनियम थाना महावन जनपद मथुरा।
- मु0अ0सं0-496/2026 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना बन्नादेवी जनपद अलीगढ।